रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1990/आषाढ़ 1, 1912
No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1990/ASADHA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1990

(रेल रसीद के न होने पर परेषणों और विक्रय आगमों के परिदान की रीति) नियम, 1990

सा. का. नि. 595(अ):—केन्द्रीय सरकार, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (रेल रसीद के न होने पर परेषणों और विक्रय आगमों के परिदान की रीति) नियम, 1990 है।

(2) ये इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "परेषिती" से रेल रसीद में परेषिती के रूप में नामित व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "परेषण" से रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपा गया माल अभिप्रेत है ;

(घ) "स्वयं के लिए बुक किए गए परेषण" से परेषक द्वारा गन्तव्य स्थान पर 'स्वयं' के लिए, परेषिती को नाम द्वारा बुक करने के स्थान पर, बुक किए गए परेषण अभिप्रेत हैं ;

(ड.) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) "रेल रसीद" से अधिनियम की धारा 65 के अधीन जारी की गई रेल रसीद अभिप्रेत है ;

(छ) "स्टेशन मास्टर" से किसी रेल स्टेशन के समग्र भारसाधन में कोई रेल कर्मचारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है और उसमें माल का परिदान मंजूर करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य रेल कर्मचारी सम्मिलित है ;

(ज) उन शब्दों और पदों का, जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. जब रेल रसीद उपलब्ध न हो तब परेषणों का परिदान :

(1) जब रेल रसीद उपलब्ध न हो तो परेषण का परिदान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जो रेल प्रशासन की राय में माल प्राप्त करने का हकदार है और जो उसे प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट रूप में किसी क्षतिपूर्ति पत्र के निष्पादन पर प्राप्त करेगा—

तथापि यह कि:—

(क) यदि परेषिती अपनी पदीय हैसियत में सरकारी पदाधिकारी है तो ऐसा परिदान स्टाम्प न लगाए गए क्षतिपूर्ति पत्र पर किया जा सकता है ;

(ख) यदि परेषण में विनश्वर वस्तुएं हैं तो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक अपने विवेक से स्टाम्प न लगे हुए क्षतिपूर्ति पत्र पर परिदान की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) जहां रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और परेषण भेजने वाले के द्वारा स्वयं को सबोधित है तो परिदान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्ररूप 1क और 1ख में सम्यक रूप से निष्पादित क्षतिपूर्ति पत्र परेषण के परिदान का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

(3) जहां रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और परेषण भेजने वाले के द्वारा स्वयं को सबोधित नहीं है तो परिदान प्ररूप 1 के स्थान पर प्ररूप 2 में सम्यक रूप से निष्पादित किए गए क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) साधारण क्षतिपूर्ति पत्र उस राज्य को जिसमें परिदान किया जाता है, लागू समुचित मूल्य के स्टाम्प कागज पर निष्पादित किया जाएगा;

(ख) स्वयं के लिए बुक किए गए परेषणों का परिदान साधारण क्षतिपूर्ति पत्रों के आधार पर मंजूर नहीं किया जाएगा ;

(ग) जहां किसी परेषण का परिदान साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर लिया जाता है वहां परेषिती को ऐसे परेषण का परिदान लेने की तारीख से दस दिन के भीतर रेल रसीद अभ्यर्पित करनी चाहिए;

(घ) जहां परेषिती ने खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट समय की परिसीमा के भीतर रेल रसीद प्रस्तुत नहीं की है वहां प्ररूप (1) में एक पृथक क्षतिपूर्ति पत्र परेषिती द्वारा ऐसे परेषण के संबंध में निष्पादित किया जाना चाहिए;

(ङ) यदि कोई परेषिती साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर परिदान लिए गए किसी परेषण के संबंध में मूल रेल रसीद अभ्यर्पित करने में असफल रहता है अथवा पृथक् क्षतिपूर्ति पत्र का निष्पादन करने में असफल रहता है तो स्टेशन मास्टर परेषिती द्वारा दिए गए साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर और परेषणों का परिदान करने से इंकार कर सकता है ;

(च) रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि उस तारीख से जिसको साधारण क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित किया गया था, तीन वर्ष की समाप्ति पर नए साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के निष्पादन की मांग करे ।

(4) जहां रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और परेषिती राज्य सरकार है वहां परिदान प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर रेल प्रशासन के विवेकानुसार किया जा सकता है ।

(5) जहां रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और परेषिती केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय या विभाग है वहां परिदान प्ररूप IV में विनिर्दिष्ट साधारण क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर रेल प्रशासम के विवेकानुसार किया जा सकता है ।

4. जब रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और परेषणों अथवा विक्रय आगमों का दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाता है तब परेषणों का परिदान :

जब रेल रसीद उपलब्ध नहीं है और रेल प्रशासन के कब्जे में माल का दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाता है तब रेल प्रशासन ऐसे माल का परिदान तब तक रोक सकता है जब तक कि प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट रूप में किसी क्षतिपूर्ति पत्र का उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादन नहीं किया जाता है जिनको माल का परिदान किया जाता है या विक्रय आगमों का संदाय किया जाता है ।

[सं. टी. सी. आई. 89/113/3]

एस. के. मलिक, संयुक्त निदेशक
(आर. एण्ड आर.)

प्ररूप 1

[नियम 3(1) देखिए]

क्षतिपूर्ति पत्र का प्ररूप

.....................रेल

क्षतिपूर्ति पत्र

**मैं/हम, इसके द्वारा अभिस्वीकार करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें .... रेल .... से प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य .... रुपए है। यह .... **मेरे/हमारे पते पर .... रेल के .... स्टेशन से तारीख .... को या उसके लगभग भेजा गया था। इसकी रेल रसीद .... है। **मैं/हम, उक्त परिदान के प्रतिफलस्वरूप अपनी, अपने वारिसों निष्पादकों और प्रशासकों और अपनी कम्पनी/फर्म उसके समनुदेशितियों और उत्तराधिकारियों की ओर से वचनबंध करता हूं/करते हैं कि मैं/हम/* भारत के राष्ट्रपति, उनके अभिकर्ताओं और सेवकों/* .... रेल प्रशासन उसके अभिकर्ताओं और सेवकों को उक्त माल संबंधी सभी दावों के बारे में हानि रहित और क्षतिपूरित रखूंगा/रखेंगे।

**मैं/हम यह वचनबंध भी करते हैं कि मैं/हम मांग की जाने पर रेल को माल भाड़ा प्रभार अवप्रभार, स्थान भाड़ा का या किसी अन्य प्रभार का, जो बाद में इस सव्यवहार के बारे में देय पाया जाए, संदाय करूंगा/करेंगे।

**मैं/हम, जो इस माल के परेषिती के नीचे हस्ताक्षर कर रहा हूं/रहे हैं, प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि प्रथम हस्ताक्षरकर्ता माल का वास्तविक स्वामी है और यह कि **मैं/हम उक्त दायित्व परेषिती के साथ बराबर-बराबर लेते हैं और इस प्रयोजन के लिए मैं/हम पर अपने हस्ताक्षर करता हूं/करते हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर	परेषिती के हस्ताक्षर ....
पिता का नाम	पिता का नाम ....
आयु	आयु ....
वृत्ति	वृत्ति ....
निवास	निवास ....

....

पदनाम और कम्पनी फार्म की मुहर

....

कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर	प्रतिभूति के हस्ताक्षर ....
पिता का नाम	पिता का नाम ....
आयु	आयु ....
वृत्ति	वृत्ति ....
निवास	निवास ....

....

पदनाम और कम्पनी/फर्म की मुहर

....

कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया।

स्टेशन की मुद्रा

. . . .
स्टेशन मास्टर

तारीख 19

* जब इस प्ररुप का उपयोग सरकारी रेल से भिन्न रेल पर किया जाए तब इसे काट दीजिए ।

*. जब इस प्ररूप का उपयोग सरकारी रेल पर किया जाए तब इसे काट दीजिए ।

** जब क्षतिपूर्ति -पत्र कम्पनी/फर्म द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया जाए तब इसे काट दीजिए ।

टिप्पणी —यह क्षति पूर्ति पत्र 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम सं. 11 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अधीन एक करार है और इसलिए माल का मूल्य चाहे जो कुछ भी हो इस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

प्ररुप 1—क

[नियम 3(2) देखिए]

क्षतिपूर्ति-पत्र का प्ररुप

. . . . रेल

क्षतिपूर्ति पत्र

**मैं/हम, इसके द्वारा . . . . अभिस्वीकार करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें . . . . रेल से प्राप्त हुआ है, ... जिसका मूल्य . . . . रुपए है, जो मेरे/हमारे द्वारा भेजा गया था और जो . . . . रेल केस्टे/शन से . . . . तारीख को या उसके लगभग संदेय मूल्य के रुप में स्वयं के लिए बुक किया गया था, जिसकी रेल रसीद . . . . है और मैं / हम उक्त परिदान के प्रतिफलस्वरुप अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों तथा अपनी कम्पनी / फर्म उसके समनुदेशितियों और उत्तराधिकारियों के लिए वचन-बंध करता हूं / करते हैं कि मैं / हम **भारत के राष्ट्रपति उनके अभिकर्ताओं और सेवकों* . . . . रेल प्रशासन उसके अभिकर्ताओं और सेवकों को उक्त माल संबंधी सभी दावों के बारे में हानिरहित और क्षतिपूरित रखूंगा/रखेंगे ।

** मैं/हम, यह वचनबंध भी करते हैं कि मैं/हम, मांग की जाने पर रेल को माल भाड़ा प्रभार, अवप्रभार, स्थान भाड़ा का या किसी अन्य प्रभार का जो बाद में इस संव्यवहार के बारे में देय पाया जाए, संदाय करूंगा/करेंगे।

**मैं/हम जो इस माल के परेषिती के नीचे हस्ताक्षर कर रहा हूं/रहे हैं, प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि प्रथम हस्ताक्षरकर्ता माल का वास्तविक स्वामी है और यह कि ** मैं/हम उक्त दायित्व परेषिती के साथ बराबर बराबर लेते हैं और इस प्रयोजन के लिए मैं / हम इस पर अपने हस्ताक्षर करता हूं/करते हैं ।

साक्षी के हस्ताक्षर . . . .
पिता का नाम . . . .
आयु . . . .
वृत्ति . . . .
निवास . . . .

परेषिती के हस्ताक्षर . . . .
पिता का नाम . . . .
आयु . . . .
वृत्ति . . . .
निवास . . . .

. . . .
पदनाम और कम्पनी/फर्म की मुहर

. . . .
कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर.................... प्रतिभू के हस्ताक्षर ....

पिता का नाम .... पिता का नाम..................................

आयु .... आयु..................................

वृत्ति .... वृत्ति ....

निवास.................................. निवास..................................

....

पदनाम और कम्पनी/फर्म की मोहर

....

कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया ।

स्टेशन की मुद्रा

भेजने वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर

तारीख 19

मैं .... के पक्ष में इस पत्र को पृष्ठांकित करता हूं, जिसका पता ....है जिसे मैं...अपनी ओर से संदेय मूल्य के रूप में स्वयं के लिए मेरे द्वारा बुक किए गए परेषणों का परिदान लेने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

भेजने वाले के हस्ताक्षर.

*जब इस प्ररूप का उपयोग सरकारी रेल से भिन्न रेल पर दिया जाए तब इसे काट दीजिए।

**जब इस प्ररूप का उपयोग सरकारी रेल पर किया जाए तब इसे काट दीजिए।

***जब क्षतिपूर्ति पत्र कम्पनी /फर्म द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया जाए तब इसे काट दीजिए।

टिप्पणी —यह क्षतिपूर्ति पत्र 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम सं. 11 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अधीन एक करार है और इसलिए माल का मूल्य चाहे जो कुछ भी हो, इस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

प्ररूप 1—ख

[नियम 3(2) देखिए]

क्षतिपूर्ति पत्र का प्ररूप

..............................रेल

क्षतिपूर्ति पत्र

**मैं/हम इसके द्वारा ....अभिस्वीकार करता हूं/करते हैं कि मुझे /हमें ....रेल से ....प्राप्त हुआ है, जिसका मूल्य....................................रुपए है जो.................... द्वारा ....रेल के..................................स्टेशन से तारीख ....को या उसके लगभग भेजा गया था और स्वयं के लिए संदेय मूल्य के रूप में बुक किया गया था, जिसकी रेल रसीद ....है और मैं / हम उक्त परिदान के प्रतिफल स्वरूप अपनी, अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों तथा अपनी कम्पनी/फर्म, उसके समनुदेशितियों और उत्तराधिकारियों के लिए वचन बंध करता हूं / करते हैं कि **मैं/हम भारत के राष्ट्रपति, उनके अभिकर्ताओं और सेवकों*.......... रेल प्रशासन, उसके अभिकर्ताओं और सेवकों को उक्त माल संबंधी सभी दावों के बारे में हानि रहित और क्षतिपूर्ति रखूंगा/रखेंगे।

** मैं/हम, यह वचनबंध भी करते हैं कि मैं /हम, मांग की जाने पर रेल को माल भाड़ा प्रभार, अवप्रभार, स्थान भाड़ा का या किसी अन्य प्रभार का, जो बाद में इस संव्यवहार के बारे में देय पाया जाए, संदाय करूंगा/करेंगे।

**मैं परेषक द्वारा निष्पादित किए गए और भेजने वाले स्टेशन के मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए, स्टाम्प लगे हुए क्षतिपूर्ति पत्र की प्रति संलग्न करता हूं जो परेषक द्वारा मेरे पक्ष में उसकी ओर से परेषण का परिदान लेने के लिए मुझे प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित किया गया है।

**मैं /हम जो इस माल के परेषिती के नीचे हस्ताक्षर कर रहा हूं/रहे हैं, प्रमाणित करता हूं/ कि प्रथम हस्ताक्षरकर्ता माल का वास्तविक स्वामी है और यह कि **मैं/हम उक्त दायित्व परेषिती के साथ बराबर बराबर लेते हैं और इस प्रयोजन के लिए मैं / हम इस पर अपने हस्ताक्षर करता हूं/करते हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर....................	परेषिती के हस्ताक्षर..........................
पिता का नाम	पिता का नाम ....
आयु	आयु..............................
वृत्ति	वृत्ति ....
निवास	निवास..............................

....

पदनाम और कम्पनी/फर्म की मुहर

....

कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर	प्रतिभू के हस्ताक्षर ....
पिता का नाम	पिता का नाम..............................
आयु	आयु. ....
वृत्ति	वृत्ति ....
निवास..........................	निवास..................................

....

पदनाम और कम्पनी/फर्म की मुहर

....

कारोबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/स्थान

मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया।

स्टेशन की मुद्रा

स्टेशन मास्टर

तारीख 19

परिदान लेने के लिए भेजने वाले के द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर

* जब इस प्ररूप का उपयोग सरकारी रेल से भिन्न रेल पर किया जाए तब इसे काट दीजिए।

** जब इस प्ररूप का उपयोग सरकारी रेल पर किया जाए तब इसे काट दीजिए।

*** जब क्षतिपूर्ति पत्र कम्पनी / फर्म द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया जाए तब इसे काट दीजिए।

टिप्पणी —यह क्षतिपूर्ति-पत्र 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम सं. 11 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अधीन एक करार है और इसलिए माल का मूल्य चाहे जो कुछ भी हो, इस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

प्ररूप 3

[नियम 3(3)]

साधारण क्षतिपूर्ति पत्र

(गैर सरकारी विभागों के उपयोग के लिए)

इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "रेल प्रशासन" कहा गया है), ... को जिनमे इसमें आगे "मुख्य बाध्यताधारी" कहा गया है (या उसके अभिकर्ता या सेवकों को जो .... द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्रों द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्रत्यायित हों मुख्य बाध्यता धारी के नाम परेषित सभी प्रकार के माल और पार्सलों का जो ...... में पहुंचते हैं, परिदान उनके परिदान के समय रेल रसीद प्रस्तुत किए बिना समय-समय पर करने के लिए सहमत हो गए हैं, मुख्य बाध्यताधारी वचनबंध करता है कि वह उस माल के संबंध में सभी दावों की और उपयुक्त परिदान के कारण रेल प्रशासन को होने वाली सभी हानियों की बाबत रेल प्रशासनों को हानि रहित और क्षतिपूरित रखेगा।

हम (1) .... (2) .... (जिन्हें इसमें आगे "प्रतिभू कहा गया है) इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि .... रेल प्रशासन मुख्य बाध्यताधारी को माल का परिदान उसके परिदान के समय रेल रसीद प्रस्तुत किए बिना, उपयुक्त प्रकार से करने के लिए सहमत हो गया है, हम (अपनी ओर से और अपने, वारिसों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों की ओर से) स्वयं की और अपने में से प्रत्येक को इस विलेख में आगे उपवर्णित निबन्धनों के अनुसार रेल प्रशासन के प्रति आबद्ध करने का करार करते हैं।

मुख्य बाध्यताधारी, उस माल के बारे में जो उसे उपर्युक्त रूप से (यदि खो नहीं गई हो तो) रेल प्रशासन..... .... को सौंपने का करार और वचनबंध करता है।

यदि वे किसी परेषण के परिदान के दस दिन के भीतर मूल रेल रसीद सौंपने में असफल रहते हैं तो मुख्य बाध्यताधारी रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित दो प्रतिभूओं सहित एक पृथक क्षति पूर्ति पत्र निष्पादित करने का करार और वचनबंध करता है जिसमें वह ऐसे परेषण के परिदान की बाबत रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करने और उसे उस संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त और हानिरहित रखने का करार करेगा।

यदि रेल रसीद को सौंपने में या उक्त पृथक क्षतिपूर्ति पत्र-निष्पादित करने में विलम्ब होता है तो रेल प्रशासन इस साधारण क्षतिपूर्ति-पत्र के आधार पर परिदानों को रोकने का अधिकार आरक्षित रखता है।

मुख्य बाध्यताधारी और प्रतिभू, रेल प्रशासन और उसके अभिकर्ताओं तथा सेवकों को सभी दावों और मांगों की, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, और रेल प्रशासन और उसके अभिकर्ताओं और सेवकों द्वारा उठाई गई ऐसी सभी हानि, किए गए व्यय, खर्च और प्रभार तथा उठाए गए नुकसान की, ऊपर निर्दिष्ट है और जो मुख्य बाध्यताधारी या उसके उक्त अभिकर्ताओं को ऐसे माल और पार्सलों का जो रेल रसीद प्रस्तुत किए बिना परिदान करने के परिणामस्वरूप हो, बाबत सदैव संयुक्ततः और पृथकतः क्षतिपूरित और हानि रहित रखेंगे।

प्रतिभुओं का दायित्व रेल प्रशासन द्वारा समय दिए जाने या उसकी किसी प्रविरति कार्य या लोप के (चाहे वह प्रतिभुओं की सहमति से हो या उसके बिना) कारण न तो कम होगा और न निर्मोचन होगा प्रतिभुओं पर वाद लाने से पूर्व मुख्य बाध्यताधारी पर वाद लाना आवश्यक नहीं होगा।

रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह मुख्य बाध्यताधारी से यह अपेक्षा करे कि वह इस विलेख के मूल रूप से निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत जाने जाने पर, रेल प्रशासन द्वारा अनुमोदित प्रतिभूओं सहित एक नया क्षतिपूर्ति-पत्र निष्पादित करे और जब तक कि अनुमोदित प्रतिभूओं सहित उक्त क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित नहीं किया जाता है, यह क्षति-पूर्ति पत्र मूल रेल रसीद के प्रस्तुत किए गए बिना माल/पार्सलों का परिदान करने और उसकी बाबत रेल प्रशासन को हुई हानि आदि के लिए क्षतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त बना रहेगा।

इसमें ऊपर सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी, मुख्य बाध्यताधारी यह करार करता है कि उक्त परेषित किसी माल के संबंध में रेल प्रशासन अपने समाधानप्रद रूप में बैंकर प्रत्याभूति के पेश किए जाने की मांग कर सकेगा और यदि मुख्य बाध्यताधारी इस मांग का पालन करने में असफल रहता है, तो वह (रेल प्रशासन) मुख्य बाध्यताधारी या उसके नाम निर्देशिती को उक्त माल का परिदान करने से इंकार कर सकेगा।

किसी मुख्य बाध्यताधारी (जिसका इस विलेख में उल्लेख किया गया है)।

. . . .
मुख्य बाध्यताधारी के हस्ताक्षर

1. . . . .

2. . . . .

(प्रतिभुओं के हस्ताक्षर)

प्रतिभू ने (जिसका इस विलेख में उल्लेख किया गया है) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
(अधिकारी का पदनाम)

ने . . . . .की उपस्थिति में इसे

तारीख . . . . .को स्वीकार किया।

प्ररूप 3

[नियम 3(4) देखिए]

साधारण क्षतिपूर्ति पत्र

(राज्य सरकारों के उपयोग के लिए)

इस बात के फलस्वरूप कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "रेल प्रशासन" कहा गया है), ...को (जिसे इसमें आगे . . . . का राज्यपाल कहा गया है) या उसके अभिकर्ता या सेवकों को, जो. . . . . द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्रों द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्रत्याक्षित हो, ...के राज्यपाल के नाम परेषित सभी प्रकार के माल और पार्सलों का, जो. . . . . में पहुंचते हैं, परिदान, उनके परिदान के समय रेल रसीद प्रस्तुत किए बिना समय-समय पर करने के लिए सहमत हो गए हैं, ...के राज्यपाल वचन करते हैं कि वह उस माल के संबंध में सभी दावों की ओर उपर्युक्त परिदान के कारण रेल प्रशासन को होने वाली सभी हानियों की बाबत रेल प्रशासन को हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा।

. . . . .के राज्यपाल, उस माल के बारे में जो उसे यथा उपर्युक्त परिदत्त किया गया है, मूल और उचित रेल रसीद प्राप्त होते ही (यदि खो न गई हो तो) रेल प्रशासन को . . . . .में सौंपने का करार और वचनबंध करते हैं।

.... के राज्यपाल रेल प्रशासन और उसके अभिकर्ताओं तथा सेवकों के सभी दावों और मांगों को, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, और रेल प्रशासन और उसके अभिकर्ताओं और सेवकों द्वारा उठाई गई ऐसी सभी हानि, किए गए व्यय खर्च और प्रभार तथा उठाए गए नुकसान को जो ऊपर विनिर्दिष्ट है और जो .... के राज्यपाल या उनके अभिकर्ताओं या सेवकों को ऐसे माल और पार्सलों का रेल रसीद प्रस्तुत किए गए बिना परिदान करने के परिणामस्वरूप हों, बाबत सदैव क्षतिपूरित और हानिरहित रखेंगे।

के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

....

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

....

अधिकारी का पदनाम

ने .... की

उपस्थिति में इसे तारीख .... को स्वीकार किया

प्ररूप 4

[नियम 3(5) देखिए]

साधारण क्षतिपूर्ति पत्र

(केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में विभागों के उपयोग के लिए)

इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि .... रेल .... के उन सभी परेषणों का जो .... में पहुंचते हैं और विनिर्दिष्ट रूप में .... को परेषित हैं, रेल रसीदों के प्रस्तुत किए बिना या ऐसी रेल रसीदें .... के नाम उचित रूप से पृष्ठांकित नहीं हैं, समय-समय पर परिदान करेगी .... यह, करार करता है कि वह .... रेल और उसके संबंध में कार्य कर रहे सभी अन्य प्रशासनों को तथा उनके द्वारा नियोजित अन्य सभी परिवहन अभिकर्ताओं या वाहकों को जिनकी रेलों पर या जिनके परिवहन अभिकरण या अभिकरणों द्वारा या के माध्यम से ऐसे माल का वहन किया जाए तथा उनके अभिकर्ताओं या सेवकों को भी इस प्रकार परिवहत माल के लिए सभी दावों की बाबत हानिरहित और क्षतिपूरित रखेगा।

.... यह करार भी करता है कि वह .... रेल या उक्त रेल प्रशासनों और परिवहन अभिकर्ताओं या वाहकों, या उनके अभिकर्ताओं या सेवकों के विरुद्ध ऐसा माल रेल रसीद नोट प्रस्तुत किए बिना या उस पर उचित पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों के अभाव में ऐसे माल का परिदान किए जाने के कारण लाए गए सभी दावों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, खर्च वह उठाएगा .... यह वचनबद्ध भी करता है कि वह प्रशासन को उन अधिकारियों के नाम सूचित करेगा जो .... सरकार के लिए और उसकी ओर से कार्य करने के लिए और उक्त परेषणों का परिदान लेने के लिए प्राधिकृत है तथा यह कि वह प्रशासन को समय-समय पर कार्मिकों में होने वाले परिवर्तनों की सूचना भी देगा।

हस्ताक्षर ....

....

....

सरकार

साक्षी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1990

THE RAILWAYS (MANNER OF DELIVERY OF CONSIGNMENTS AND SALE PROCEEDS IN THE ABSENCE OF RAILWAY RECEIPT) RULES, 1990.

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Railways (Manner of delivery of consignments and sale proceeds in the absence of railway receipt) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their commencement of the Act.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(b) 'Consignee' means the person named as consignee in a railway receipt;

(c) 'Consignment' means goods entrusted to a railway administration for carriage;

(d) 'Consignments booked to self' means consignments booked by the consignor to 'self' at the destination instead of to a 'consignee', by name.

(e) 'Form' means the Form annexed to these rules;

(f) 'Railway receipt' means the railway receipt issued under section 65 of the Act;

(g) 'Station Master' means a Railway employee by whatever name called, in overall charge of a Railway Station and includes any other Railway employee authorised by the railway administration to grant delivery of goods;

(h) words and expressions sed herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. (1) Where the railway receipt is not forthcoming, the consignment may be delivered to the delivery of consignments when the railway receipt is not forthcoming person who in the opinion of the railway administration is entitled to receive the goods and who shall receive the same on the execution of an Indemnity Note as specified in Form I:

Provide, however, that :—

(a) if the consignee is a Government official in his official capacity, such delivery may be made on unstamped Indemnity Note;

(b) if the consignment consists of perishable articles, any railway servant, authorised in this behalf, may in his deiscretion allow delivery on unstamped Indemnity Note.

(2) Where the railway receipt is not forthcoming and the consignment is addressed by the sender to self, delivery shall not be made unless Indemnity Note, duly executed in Forms IA and IB are produced by the persons claiming delivery of the consignment.

(3) Where the railway receipt is not forthcoming and the consignment is not addressed to self by the sender, delivery may be made on the basis of an Indemnity Note duly executed in Form II in lieu of Form I subject to the following conditions, namely:—

(a) The General Indemnity Note shall be executed on stamp paper of the appropriate value applicable to the State in which delivery is made;

(b) Consignment is booked to self shall not be granted delivery on the basis of General Indemnity Notes;

(c) Where delivery of a consignment is taken on the basis of a General Indemnity Note, the consignee should surrender the railway receipt within 10 days from the date of taking delivery of such consignment;

(d) Where the consignee has not produced the railway receipt within the time limit specified under clause (c), a separate Indemnity Note in Form I should be executed by the consignee in respect of such consignment;

(e) If a consignee fails to surrender the original railway receipt or fails to execute a separate Indemnity Note in respect of any consignment taken delivery on the basis of the General Indeminity Note, Station Master may refuse to deliver further consignments on the basis of the General Indemnity Note furnished by the consignee;

(f) The Railway Administration shall have the right to demand the execution of a fresh General Indemnity Note on expiry of three years from the date on which it was executed.

(4) Where the railway receipt is not forthcoming and the consignee is a State Government, delivery may be made at the discretion of the Railway Administration on the basis of General Indemnity Note specified in Form III.

(5) Where the railway receipt is not forthcoming and the consignee is a Ministry of Department of the Central Government, delivery may be made at the discretion of the Railway Administration on the basis of General Indemnity Note specified in Form IV.

4. When the Railway receipt is not forthcoming and the goods in possession of the Railway Administration are claimed by two or more persons, the Railway Administration may withhold delivery of such goods unless an Indemnity Note, as specified in Form 1, is executed by the person, to whom the goods are delivered or sale proceeds are paid. Delivery of consignments when Railway receipt is not forthcoming and the consignments or sale proceeds are claimed by two or more persons.

[No. TCI/89/113/3]

S.K. MALIK, Jt. Director (RAR)

FORM-I

[See Rule 3(1)]

FORM OF INDEMNITY NOTE

............RAILWAY

INDEMNITY NOTE

I/We hereby acknowledge to have received from the......................................Railway............valued at Rupees..which was despatched tomy/our address from the.........
....Station of the..Railway on or about the...day of..,the railway receipt for which has been...and **for myself, my heirs, executors and administrators/and for our Company/Firm, their assigns, and successors,

**I/We undertake in consideration of such delivery as aforesaid to hold.

*President of India, his agents and servants the..
....railway administration, its agents and servants harmless and indemnified in respect of all claims to the said goods.

**I/We also undertake to pay on demand to the railway administration freight charges, undercharges, wharfage, and any other charges that may be subsequently found due in respect of this transaction.

And **I/We the undersigned, signing below the consignee of these goods certify that first signor is the bonafide owner of the goods; and that **I/We undertake the whole of the said liability equally with the consignee, and for this purpose **I/We affix **my/our signature hereto.

Signature of Witness.................................
Father's Name..
Age...
Profession...
Residence ....

Signature of Consignee ....
**Father's Name..
Age ....
Profession..
Residence...

....
Designation and Seal of the Co./Firm

....
Registered Office/Place of business

Signature of Witness...............................
Father's Name..
Age...
Profession...
Residence ....

Signature of Surety..
**Father's Name..
Age ....
Profession..
Residence...

....
Designation and seal of Co./Firm.

....
Registered Office/Place of business

Executed in my presence.

Station Stamp

....
Station Master.

Date..............19 .

* To be struck out when the form is used on other than Government Railways.

†To be struck out when the form is used on Government Railways.

** To be struck out when Indemnity Note is executed by or on behalf of a Company/Firm.

Note:-This note is an agreement ranging under clause (C) of Article 5 of Schedule I of Indian Stamp Act 11 of 1899 and therefore, chargeable with stamp duty, irrespective of the value of the goods.

FORM I-A

[See Rule 3(2)]

FORM OF INDEMNITY NOTE

..............RAILWAY

INDEMNITY NOTE

**I/We hereby acknowledge to have received from.............................Railway............................ valued at Rs.................................which was despatched by **me/us and booked to self/as value payable, from the...station of the...Railway on or about the...day of ....the Railway Receipt for which has been..and **for myself, my heirs, executors and administrators/and for our Company/Firm, their assigns, and successors.

**I/We undertake in consideration of such delivery as aforesaid to hold

*President of India, his agents and servants the†..railway administration, its agents and servants harmless and indemnified in respect of all claims to the said goods.

**I/We also undertake to pay on demnd to the railway administration freight charges, undercharges, wharfage, and any other charges that may be subsequently found due in respect of this transaction.

And **I/We the undersigned, signing below th consignor of these goods certify that the first signor is the bonafide owner of the goods; and that **I/We undertake the whole of the said liability equally with the consignor, and for this purpose **I/We affix **my/our signature hereto.

Signature of Witness..................................
Father's Name ....
Age ....
Profession ....
Residence ....

Signature of Consignor ....
**Father' Name ....
Age ....
Profession ....
Residence ....

....
Designation and seal of the Company/Firm.

....
Registered Office/Place of business.

Signature of witness ....
Father's Name ....
Age ....
Profession ....
Residence ....

Signature of surety ....
**Father's Name ....
Age ....
Profession ....
Residence ....

....
Designation and seal of the Company/Firm.

Executed in my presence.

Station stamp

Station Master.
of forwarding,station.

Date............1

I hereby endorse this note in favour of...whose address is...whom I hereby authorise, to these delivery of the consignments booked by me as self/as value payable on my behalf.

Signature of Sender:...............

Date..............19 .

* To be struck out when the form is used on other than Government Railways.

† †To be struck out when the form is used on Government Railways.

** To be struck out when Indemnity Note is executed by or on behalf of a Company/Firm.

Note:–This note is an agreement ranging under clause (c) of Article 5 of Schedule I of Indian Stam Act 11 of 1899 and therefore, chargeable with a stamp duty, irrespective of the value of the goods.

FORM I-B

[See Rule 3(2)]

FORM OF INDEMNITY NOTE

..............RAILWAY

INDEMNITY NOTE

**I/We hereby acknowledge to have received from the..............................Railway..................valued at Rs...which was despatched by..............................from ....station of the.......................................Railway on or about the..................................day of..and booked to self/as value payable, the Railway Receipt for which has been..and **for myself, my heirs, executors and administrators/and for our Company/Firm, their assigns, and successors.

**I/We undertake in consideration of such delivery as aforesaid to hold.

*President of India, his agents and servants the——————————————————† railway administration, its agents and servants harmless and indemnified, its agents and servants harmless and indemnified in respect of all claims to the said goods.

**I/We also undertake to pay on demand to the railway administration freight charges, wharfage, and any other charges that may be subsequently found due in respect of this transaction.

**I enclose a copy of a stamped Indemnity Note executed by the consignor and counter signed by the Station Master of the Forwarding Station which has been duly endorsed by the Consignor in my favour authorising me to take delivery of the consignments on his behalf.

**I/We the undersigned, signing below the person authorised by the consignor to take delivery of the goods, I hereby certify that the first signor is the bona fide owner of the, of gods and **I/We under-take the whole or the said liability equally with the signor and for this purpose **I We affix our signatures hereby

Signature of witness	....	Signature of consignor	....
Father's Name	....	Father's Name	....
Age	....	Age	....
Profession	....	Profession	....
Residence	....	Residence	....

....

Designation and seal of the Company/Firm.

....

Registered Office/Place of business.

Signature of witness	....	Signature of Surety	....
Father's Name	....	**Father's Name	....
Age	....	Age	....
Profession	....	Profession	....
Residence	....	Residence	....

....

Designation and seal of Company/Firm.

....

Registered Office/Place of Business.

Executed in my presence.

Station stamp

....

Station Master.

Date..............19 .

Signature of the person ....
authorised by the sender....................
to take delivery

* To be struck out when the form is used on other than Government Railways.

† To be struck out when the form is used on Government Railways.

** To be struck out when Indemnity Note is executed by or on behalf of a Company/Firm.

Note:–This note is an agreement ranging under Clause (C) of Article 5 of Schedule I of Indian Stamp Act 11 of 1899 and therefore, chargeable with a stamp duty, irrespective of the value of the goods.

FORM II

[See Rule 3(3)]

GENERAL INDEMNITY NOTE

(For use of other than Government Departments)

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as "the railway administration") agreeing to deliver from time to time to..(hereinafter referred to as "the Principal Obligor") herein, or to his agent or servants who shall be duly accredited by letters of authority on such behalf signed by..all and every description of goods and parces consigned to the name of the Principal Obligor that arrive at...and without production of the railway receipt while taking delivery of them, the Principal Obligor undertakes to hold the railway administraion harmless and indemnified in respect of all claims to the goods and losses to the railway administration arising out of the aforesaid delivery.

And we(1)... (2)...................................(hereinafter called "the sureties") in consideration of the...railway administration agreeing to deliver the goods to the Principal Obligor as aforesaid without production of the Railway Receipt while taking delivery, we (for ourselves and *on behalf of our heirs, successors, executors, legal representatives and assigns) agree to bind ourselves each and every one of us, to the railway administration in the terms set out hereinafter in these presents.

The Principal Obligor agrees and undertakes to surrender the original and proper railway receipts to the railway administration at..in respect of the goods delivered to them as aforesaid as soon as they are available (if not lost).

In the event of their failure to surrender the original railway receipt within ten days of the delivery of any consignment, the Principal Obligor agrees and undertakes to execute a separate Indemnity Note alongwith two sureties approved by the railway administration agreeing to indemnify and hold the railway administration harmless and free from any liability in respect of the delivery of such consignment.

If there is delay in surrendering railway receipts or in executing a separate Indemnity Note, as provided for above, the railway administration reserves the right to stop deliveries on the strength of this General Indemnity Note.

The Principal Obligor and the sureties shall jointly and severally, at all times, keep the railway administration and their agents and servants indemnified and harmless against all claims and demands of whatsoever nature and all losses, expenses, damages, costs and charges incurred by the Railway Administration and their Agents and servants as referred to above in consequence of the delivery to the Principal Obligor or his Agents of such goods and parcels without the production of the Railway Receipt.

The liability of the sureties shall not be impaired or discharged by reason of time-being given or for any forbearance, at or/omission of the Railway Administration whatever (whether with or without the consent of the sureties) nor shall be necessary to sue the Principal Obligor before suing the sureties.

The railway administration shall have the right to call upon the Principal Obligors to execute a fresh Indemnity Note with sureties approved by the railway administration on the expiry of 3 years from the date of the original execution of these presents and until such Indemnity as aforesaid is executed with approved sureties, this indemnity shall remain in force for effecting delivery of goods/parcels without production of original railway receipt and for indemnification for loss, etc., to the railway administration in respect there of.

Notwithstanding anything contained hereinabove, the Principal Obligor agrees that in respect of any goods— consigned as aforesaid, the railway administration may demand production of banker's guarantee to its satisfaction and may on the Principal Obligor's failure to comply with such demand, decline to deliver the said goods to the Principal Obligor or his nominee.

Signed by the Principal Obligor
(within mentioned)

Signature of the Principal Obligor.

In the presence of

1. ....
2. .... (Signatures of the Sureties)

Signed by the Surety
(within mentioned)
in the presence of

1. ....
2. ....

Accepted on..

Designation of Officer for and on behalf of the President of India in the presence of

* Words in brackets to be struck out when the surety is a judicial person.

FORM III

[See Rule 3(4)]

GENERAL INDEMNITY NOTE

(For use by State Governments)

In consideration of the President of India (herein after referred to as "the railway administration") agreeing to deliver from time to time to.................. ....(hereinafter referred to as "Governor of") herein, or to his Agents or servants who shall be duly accredited by letters of authority on such behalf signed by.. ....all and every description of goods and parcels consigned to the name of the Govrnor of.......... ....that arrive at.. ....and without production of the Railway Receipt while taking delivery of them Governor of................... .... undertakes to hold the Railway Administration harmless and indemnified in respect of all claims to the goods and losses to the Railway Administration arising out of the aforesaid delivery.

The Governor of................ ....agrees and undertakes to surrender the original and proper Railway Receipts to the railway administration at.................................... ... in respect of the goods delivered to them as aforesaid as soon as they are available (if not lost).

The Governor of... ....shall at all times, keep the railway administration and their Agents and servants indemnified and harmless against all claims and demands of whatsoever nature and all losses, expenses, damage costs and charges incurred by the railway administration and their Agents and servants as referred to above in consequence of the delivery to the Governor of...or his Agents or servants of such goods and parcels without the production of the Railway Receipt.

Signature of the

....

for and on behalf of the

Governor of. ....

Accepted on...

Designation of Officer

for and on behalf of the

President of India

in the presence of—

....

FORM IV

[See Rule 3(5)]

GENERAL INDEMNITY NOTE

(For use by Ministries or Departments of Central Government)

In consideration of the ....Railway delivering from time to time all consignments belonging to..that may arrive at.................. ....specifically consigned to........................... ....without production of the Railway Receipts or when such railway receipts are not properly endorsed to.................................... ....hereby agree to hold the... Railway and all other Administrations working in connection herewith and also all other Transport Agents or carriers employed by them respectively over whose Railways or by or through whose Transport Agency or Agnencies such goods may be carried and their respective Agents or servants harmless and indemnified in respect of all claims for goods so delivered and further agree to defray the cost of all suits of whatsoever nature brought against the...Railway or such Railway Administration and Transport Agents or carriers as aforesaid or their respective Agents or servants for having delivered such goods without the production of the railway receipt Notes or in the absence of proper endorsement or endorsements on the same. The..also undertakes to notify the Administration of the names of the Officers authorised to act for and on behalf of....... ....Government and take deilvery of the consignments as aforesaid and also to notify the Administration of the chaiges occuring in the personnel from time to time.

Signature of...
....
....
...............................Government.

Signature of witness

1. ....

2. ....

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990